135

राजस्थान सरकार
श्रम विभाग

क्रमांकः एफ.14(13)(1)चुनाव/श्रम/विधि/2015 25486 जयपुर, दिनांकः- 5-11-18

आदेश

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान राज्य में विधानसभा आम चुनाव, 2018 की घोषणा कर दिनांक 07.12.2018 को मतदान की तिथि निश्चित की गयी है।

भारत सरकार के संशोधन अधिनियम संख्या 21/96 द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की नयी धारा 135 "ख" स्थापित कर, मतदान के दिन कर्मचारियों को संवेतन अवकाश की मंजूरी की व्यवस्था की है, धारा–135 "ख" निम्न प्रकार उद्धृत किया जाता है। :–

135 'ख' मतदान के दिन कर्मचारियों को संवेतन अवकाश की मंजूरी–

(1) किसी कारबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा के लिये निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अनुसार अवकाश मंजूर किये जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी और यदि ऐसा व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया जाता है कि उसे सामान्यतया किसी ऐसे दिन के लिये वह मजदूरी संदत्त की जावेगी, जो इस दिन उसे अवकाश मंजूर न किये जाने की दशा में दी गई होती है।

(3) यदि कोई नियोजन उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, तो ऐसा नियोजन जुर्माने से, जो पांच सौ रूपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(4) यह धारा किसी ऐसे निर्वाचन को लागू नहीं होगी जिसकी अनुपस्थिति से उस नियोजन के संबंध में जिसमें वह लगा हुआ है, कोई खतरा या सारवान हानि हो सकती है।

अतः राज्य सरकार राज्य में स्थित निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, दुकान, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार/व्यवसाय के नियोजकों को मतदान कार्यक्रमानुसार उनके संस्थान में नियोजित/कार्यरत प्रत्येक कामगार को, जिनमें आकस्मिक कामगार भी सम्मिलित हैं, राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, को मतदान के दिन दिनांक 07.12.2018 को सवैतनिक अवकाश हेतु विनिर्दिष्ट करती है, ताकि उनके द्वारा मतदान के अधिकार का स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष रूप से उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही ऐसे कार्मिक जो राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता हैं, परन्तु उन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के बाहर कार्यरत हैं, उन्हें भी अपने मताधिकार का उपयोग करने हेतु मतदान दिवस दिनांक 07.12.2018 का सवैतनिक अवकाश देय होगा।

(डॉ0 पृथ्वी)
श्रम आयुक्त
राजस्थान, जयपुर।

राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

क्रमांकः एफ 8(2)(30)निर्वा/2018/9489 जयपुर, दिनांक 5-11-18

प्रतिलिपि समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर्स) राजस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान जयपुर